

**IN THE COURT OF DEPUTY COMMISSIONER, LOHARDAGA**  
 Schedule XIV From No- 562

Order sheet dated ..... To .....  
 Case No- 20/24-25

The State of Jharkhand  
 V/s  
 Tarjan Goswami & Ors.

**Nature of Case- Confiscation**

**U/S Rule 11(V) of the Jharkhand minirals (Prevention of illegal mining, Transportation And storage) Rule 2017,**

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर				आदेश पर की गई कारबाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1. 12/12/24	2. आदेश				3.
यह Confiscation Case No- 20/24-25 राज्य सरकार बनाम 1. टार्जन गोस्वामी 2. जावेद अंसारी 3. सरोज उराँव में पुलिस अधीक्षक, लोहरदगा के पत्रांक 1240/अप0शा0 दिनांक 17.08.2024 एवं सेन्हा थाना काण्ड सं0 40/24 दिनांक 02.06.2024 के आलोक में धारा 379/411 भा0द0वि0 एवं 4/54 झारखण्ड लघु खनिज रियायत नियम 4/21 खान एवं खनिज विकास तथा विनियमन -1957 में अग्रेतर वाद दायर कर निम्नांकित वाहन को राजसात करने हेतु वाद प्रारम्भ किया गया है।					
क्र0	वाहन के प्रकार (मोडल नं0)	वाहन सं0	चेचिस नंबर	ईंजन नंबर	मालिक का नाम/पता
01.	स्वराज ट्रैक्टर मॉडल 834 XM	JH08G-5310	WXTD25419155 226	331008SZD01181	टार्जन गोस्वामी, पै0-रुपदेव गोस्वामी, सा0-एकागुडी थाना सेन्हा एवं जिला-लोहरदगा।
02.	स्वराज ट्रैक्टर मॉडल 735 FEeR	JH08K-8658	MBNAK48ACR TB25972	CJ.1354/AA00040 8	जावेद अंसारी, पिता-कमरुद्दीन अंसारी, सा0-वार्ड न0-04, रामपुर, थाना लोहरदगा एवं जिला-लोहरदगा।
03.	स्वराज ट्रैक्टर मॉडल 735 FEeR	JH08H-5569	MBNBH48AEL CL23206	422001/SBL16295	सरोज उराँव, पिता-लुटू उराँव, ग्राम-चितरी डाढ़ थाना-सेन्हा जिला लोहरदगा।
इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची में दायर प्रकरण W.P.(C) 6788/2023, W.P.(C) 7531/2023 दायर किये गये थे।					
मामले में माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची में दायर प्रकार संख्या W.P.(C) 6788/2023, में M/S Aditya Enterprises Proprietorship firm बनाम सरकार W.P.(C) 7531/2023,					

सरुन कुमार वो ललन कुमार इन्द्र Issues में उठाये गये मामले को स्वीकार कर लिया गया तथा इस प्रकार के मामले को दिनांक 22.07.2024 को पारित आदेश द्वारा Conanicance & confiscation, हेतु Judicial Magistrate first class को सक्षम माना गया है। तथा Rule 11(V) of the Jharkhand minirals(Prevention of illegal mining, Transportation And storage) Rule 2017, as ultra vires, any confiscation proceeding by the Deputy Commissioner of any District within the State of Jharkhand under the Rule is illegal and is without any authority of law and is beyond Jurisdiction घोषित किया गया है।

### निर्णय

अतः माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड रांची द्वारा W.P.(C) 6788/2023, एवं W.P.(C) 7531/2023, में दिनांक 22.07.2024 को पारित आदेश के आलोक में वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

उपर्युक्त,  
लोहरदगा।

उपर्युक्त,  
लोहरदगा।